उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

प्रभारी अध्ययन केन्द्र

इलाहाबाद–211021

फोन नं० : 7525048031

पत्रांक : ओ.यू./प्र.अ./ 3777 /2018

दिनाँक : 03 /04/2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
वाजीराव डिग्री कॉलेज,
नानपुर, बिचपुरी,
आगरा–283105

अध्ययन केन्द्र कोड : **S-1332**
(पत्रा व्यवहार में सदैव लिखा जाय)

विषय : सत्र जनवरी–2018 में उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु आपके आवेदन–पत्र/प्रस्ताव पर गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के आधार पर मा0 कुलपति जी के स्वीकृति के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है :

1. अध्ययन केन्द्र समन्वयक को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 'पूर्व–प्रवेश परामर्श' की व्यवस्था करनी होगी। सभी प्रवेश, प्रवेश अर्हताओं के परीक्षण के पश्चात करेंगे। गलत या अनर्ह शिक्षार्थियों को प्रवेश देने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अध्ययन केन्द्र के समन्वयक एवं प्राचार्य का होगा।
2. अध्ययन केन्द्र समन्वयक, ऑनलाइन प्रवेश और परीक्षा आवेदन–पत्र जमा करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथियों का अनुपालन करेंगे और ई–आवेदन फार्म में संलग्न अर्हता सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की सत्यता सुनिश्चित करते हुए कालेज लॉगिन आईडी से समय सीमा के अन्दर वेरीफाई करना सुनिश्चित करेंगे। कालेज लॉगिन से वेरीफाई होने पर ही नामांकन संख्या जनरेट होगी तथा शिक्षार्थी का डेटा पाठ्य सामग्री प्रेषण हेतु पाठ्य सामग्री अनुभाग के पोर्टल पर अग्रसारित हो जायेगा। विलम्ब के लिए केन्द्र समन्वयक उत्तरदायी होंगे।
3. अध्ययन केन्द्र समन्वयक यह सुनिश्चित हो लें कि विश्वविद्यालय द्वारा उनके अध्ययन केन्द्र पर आवंटित कार्यक्रमों में ही शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। गैर अनुमन्य कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों को प्रवेश देने पर अध्ययन केन्द्र की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जायेगी।
4. अध्ययन केन्द्र समन्वयक प्रवेश आवेदन–पत्रों, बैक परीक्षा आवेदन–पत्रों एवं अधिन्यास कार्य के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
5. अध्ययन केन्द्र संचालन के लिए विश्वविद्यालय मानकानुसार आपके अध्ययन केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष शिक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 होनी चाहिए, अन्यथा की दशा में केन्द्र निलम्बित करते हुए प्रवेशित शिक्षार्थियों को अन्यत्र निकटतम् अध्ययन केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
6. अध्ययन केन्द्र पर लगातार तीन सत्रों में प्रवेश संख्या शून्य होने पर अध्ययन केन्द्र को निष्क्रिय मानकर उसकी मान्यता निरस्त हो जायेगी। मान्यता निरस्त होने की स्थिति में अध्ययन केन्द्र एक वर्ष के अन्दर विश्वविद्यालय के समक्ष सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद प्रतिभूति राशि प्राप्त कर सकता है। प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा।
7. अध्ययन केन्द्र के निलम्बित होने और शिक्षार्थियों के स्थानान्तरित हो जाने की स्थिति में अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य, समन्वयक तथा अन्य स्टाफ को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. एक बार अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त होने के बाद यदि कोई केन्द्र पुनः संचालित होना चाहता है, तो उसे नया आवेदन–पत्र उचित प्रक्रियानुसार तथा अद्यतन मानकों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

Iti Tiwari

9. अध्ययन केन्द्र के समन्वयक द्वारा परामर्श कक्षाओं की समय–सारणी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी एक प्रति परामर्श सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व ही विश्वविद्यालय के प्रभारी, परामर्श प्रकोष्ठ (विश्वविद्यालय परिसर, सेक्टर–एफ, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद) को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
10. कार्यक्रम विशेष में शिक्षार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम होने पर उनमें केवल 50 % परामर्श कक्षाएं आयोजित की जायेगी तथा यदि शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 04 तक है तो 25 % परामर्श कक्षाएं ही आयोजित की जायेगी।
11. अध्ययन केन्द्र द्वारा **संलग्न प्रारूप** पर अपने मुख्य द्वार तथा मुख्य मार्ग से केन्द्र पर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर स्वयं के खर्च से बड़े आकार के बोर्ड/बैनर को लगाना सुनिश्चित करेगा।
12. अध्ययन केन्द्र, विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर मान्यता शर्तों में किये गये परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा

आपके महाविद्यालय/संस्थान स्थित अध्ययन केन्द्र पर निम्नलिखित कार्यक्रमों के संचालन की अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है:–

*******MA(Hindi, English, History, Pol.Science, Education), M.Sc(Biochemistry, Statistics), DYS, PGDYO, APY, CCY. *******

अध्ययन केन्द्र पर समन्वयक की नियुक्ति हेतु पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में नियुक्त तीन वरिष्ठ शिक्षकों की सूची उनके शैक्षिक बायोडाटा एवं उनके शिक्षक होने का प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिसके उपरान्त ही समन्वयक की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

नोटः– कृपया जमानत राशि रु. 20,000/– का बैंक ड्राफ्ट ***(राजकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालय को छोड़कर)*** **"वित्त अधिकारी उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद"** के नाम से बनवाकर, जो इलाहाबाद में देय हो, एवं संलग्न MoU को रु 20/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर महाविद्यालय/संस्थान के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ही गवाह का हस्ताक्षर कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Iti Tiwari

प्रभारी अध्ययन केन्द्र

पत्र संख्या : ओ.यू./ 3777 (i) /2018 तद्दिनांक : 03 /04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. प्रभारी, पाठ्यसामग्री अनुभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. प्रभारी, प्रवेश अनुभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6. प्रभारी, मीडिया सेल, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
7. प्रभारी, परामर्श प्रकोष्ठ, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
8. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

प्रभारी अध्ययन केन्द्र

प्रो. पी.पी. दुबे
प्रभारी अध्ययन केन्द्र

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ
प्रयागराज–211021

फोन नं. : 7525048005
7525048133
Email – inchargesc@uprtou.ac.in

पत्रांक : ओ.यू./प्र.अ./1587/2024 दिनाँक : 02/04/2024

(S-1332)

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक/समन्वयक,
वाजीराव डिग्री कॉलेज,
नानपुर, बिचपुरी,
आगरा–283105

विषय : ***अध्ययन केन्द्र पर वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को मान्य किये जाने हेतु।***

महोदय/महोदया,

आपके महाविद्यालय/संस्थान में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र पर वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय के मानकानुसार आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, महाविद्यालय/संस्था विवरण और स्क्रीनिंग समिति की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी द्वारा आपके अध्ययन केन्द्र पर सत्र जनवरी–2024 से निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान की है।

संस्तुत कार्यक्रम : ******** BA(Hindi, English, History, Ancient History & Archaeology, Geography, Economics, Pol.Science, Public Administration, Education, Maths), B.Sc(Physics, Chemistry, Maths, Zoology, Botany, Statistics, Biochemistry), CCSS(BA & B.Sc Subjects), B.Com, BBA, MA(Ancient History & Archaeology, Geography, Economics), MSW, MAJMC, M.Com, DDT, DVAPFV, DAG, DABM, DPHCN, DRD, DVM, DDM, DPOM, DMM, DHRM, DFM, DITM, DSEBM, DKK, DECE, DCDN, DHEN, DASC, CAC, CWED, CCY CGST, CPHT&VA, CCMAP, CLPS, CPIG, COF, CNF, CCCN, CRJMC, CHR, CASC, CFD, CTD, CVM, CDM, CFS, CPLT, APCNF, APCCN, APY, APPR, APDF, APGG, APKD, APAY, APAM, APCAA, APJK, APSMMF, APIBS, APCO, APSSS.*******

अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति से विश्वविद्यालय को आशा है कि अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या में वृद्धि होगी।

(प्रो. पी.पी. दुबे)
प्रभारी अध्ययन केन्द्र

पत्रांक संख्या : ओ०यू०/प्र०अ०/1587(i)/2024, तद्दिनांक : 02/04/2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभारी, पाठ्यसामग्री अनुभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
2. प्रभारी, प्रवेश अनुभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. क्षेत्रीय केन्द्र समन्वयक, सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र (ई–मेल के माध्यम से)।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

(डॉ. आनन्दा नन्द त्रिपाठी)
सह प्रभारी अध्ययन केन्द्र